कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 1483/सात लाई०एस०–42/ व्यव०/2023–24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति/दे०दून, दिनांकः मार्च 24,2023

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023 देहरादूनः दिनांकः 22, मार्च, 2023 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) हेतु घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु सी०एल०–5सी (देशी शराब/बीयर) तथा एफ०एल०–5 डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकानों का दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु नवीनीकरण व नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता हैः–

क्र०सं०	विवरण		दिनांक व समय
01	प्रथम चरण नवीनीकरण	मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि	दिनांकः 29.03.2023 को अपरान्ह 03.00 बजे तक
		जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी की स्वीकृति	नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 29.03.2023 को अपरान्ह 05.00 बजे तक जाँच पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
02	द्वितीय चरण लाटरी	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 31.03.2023 समय अपरान्ह 02.00 बजे तक
		लाटरी की तिथि	दिनांक 31.03.2023 अपरान्ह 05.00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक

नोटः– उपरोक्त दोनो चरणों के पश्चात् मदिरा दुकानों का आवंटन पूर्ण राजस्व पर प्रथम आवक प्रथक पावक के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा।

नवीनीकरणः– देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 में दिये गये प्राविधानानुसार व तत्सम्बन्ध में जनपदों को जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण/आवंटन/व्यवस्थापनः–

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 में उन्ही देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुयी हो। मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण हेतु गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के निर्धारित/राजस्व में निम्न प्रकार प्रतिशत वृद्वि कर सम्बन्धित मदिरा दुकान के नवीनीकरण करने की व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–
   a) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु देशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान के कुल राजस्व के योग में 15% वृद्वि करते हुए राजस्व निर्धारित कर दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
   b) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विदेशी मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित राजस्व तथा अतिरिक्त उठान के कुल राजस्व के योग में 10% वृद्वि करते हुए राजस्व निर्धारित कर दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
   c) नवीनीकृत किये जाने वाली मदिरा की दुकानों की समस्त देयताएँ नवीनीकरण की तिथि तक जमा होनी चाहिए।
   d) वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित राजस्व का नवीनीकरण शुल्क मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निर्धारित किये गये राजस्व का 1% नवीनीकरण की प्रकिया के समय लिया जायेगा।
   e) नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ नवीनीकरण शुल्क ई चालान के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
   f) लाईसेंस प्राधिकारी नवीनीकरण की स्वीकृति की सहमति जाँचोपरान्त निर्गत करेंगें।
   g) मदिरा के दुकानों हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क लाईसेंस प्राधिकारी के द्वारा प्रदान की गयी नवीनीकरण स्वीकृति के एक दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।
   h) मदिरा दुकानों के हेतु निर्धारित प्रथम प्रतिभूति नवीनीकरण की तिथि से सात दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

i) मदिरा दुकानों के हेतु निर्धारित द्वितीय प्रतिभूति नवीनीकरण की तिथि से तीस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

j) अनुज्ञापी को मदिरा की दुकान के कुल राजस्व के 15% की धनराशि की हैसियत का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप जी–39 में 15.04.2023 से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

2. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम 3.1 के अनुसार जो मदिरा की दुकाने नवीनीकृत नहीं हो पायेंगी, उन मदिरा दुकानों को उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। अवशेष दुकानों हेतु नवीनीकृत दुकानों का राजस्व कुल जनपद हेतु आवंटित/आगणित राजस्व से घटाकर शेष राजस्व को मदिरा दुकान की क्षमता के आधार पर निर्धारित कर दुकानों का राजस्व निर्धारित किया जायेगा।
3. आवेदक को मदिरा की फुटकर दुकान वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु आवंटित की जायेगी। उक्त वित्तीय वर्ष हेतु दुकानवार राजस्व आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम 1.1 में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जायेगा है।
4. नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा दुकानों हेतु लॉटरी के माध्यम से दुकानों के आवंटन के लिये एकल आवेदक के अतिरिक्त अधिकतम दो आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आवेदक, सह आवेदक के साथ आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में दोनों आवेदकों की हैसियत जोड़कर, हैसियत की गणना की जा सकती है। आबकारी राजस्व की जिम्मेदारी दोनों ही आवेदकों की सम्मिलित रूप से होगी।
5. एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम दो मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकेंगी (नवीनीकरण तथा आवंटन)। यदि किसी आवेदक को राज्य में उपरोक्तानुसार मदिरा दुकानें आवंटित हो जाती है, तो वह राज्य की अन्य मदिरा दुकान आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक को अधिकतम दो मदिरा दुकानें आवंटित हो जाने पर अन्य मदिरा दुकानों हेतु उसके द्वारा किये गये आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम 3.5 व 3.6 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया शुल्क रूपये 60,000/– तथा आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम 2.1 के अन्तर्गत निर्धारित धरोहर राशि कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत् उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये गये बैंक ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से देय होगा।
7. केवल निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र व शपथ पर स्वीकार्य किये जायेंगे।
8. आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रक्रिया शुल्क तथा धरोहर राशि से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के स्वीकार्य नहीं होगें।
9. उपरोक्त दोनों चरणों के उपरान्त भी यदि मदिरा दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर मदिरा दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित राजस्व पर सम्बन्धित मदिरा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जा सकता है।
10. प्रदेश के हरिद्वार व उधमसिंहनगर जनपद को छोडकर जनपद देहरादून की कालसी तथा चकराता तहसील, जनपद नैनीताल की नैनीताल, बेतालघाट, धारी व कौश्याकोटोली तहसील तथा अन्य 09 पर्वतीय जनपदों में मदिरा दुकानों हेतु कुल राजस्व के 5 प्रतिशत् अनुज्ञापन शुल्क के रूप में जमा करने के उपरान्त ही 01 उप दुकान खोले जाने की अनुमति होगी। जिसको जिलाधिकारी की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
11. नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता हेतु फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) तथा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप होगीः–
    1. आवेदक को लॉटरी द्वारा व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में सम्बन्धित मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 2.5% के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
    2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रपत्र के रूप मे स्थायी आयकर लेखा (PAN) संख्या तथा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
    3. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 01 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    4. आवेदक को मदिरा की दुकान के कुल राजस्व के 15% की धनराशि की हैसियत का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप जी–39 में 15.04.2023 से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

Scanned by CamScanner

5. हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की एफ०डी०आर० जोकि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो, स्वीकार की जा सकेगी।
6. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के नियम 3.5 व 3.6 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया शुल्क तथा नियम 2.1 के अन्तर्गत निर्धारित धरोहर राशि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये गये बैंक ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से देय होगा।

12. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 जो कि शासन की अधिसूचना संख्याः 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023 देहरादूनः दिनांकः 22, मार्च, 2023 के द्वारा निर्गत की गयी है, में उल्लिखित व्यवस्थाओं उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित व तत्सम्बन्ध में निर्गत नियमावलियाँ) का पालन बाध्यकारी होगा।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं शर्तें विभागीय बेबसाईट **www.uttarakhandexcise.org.in** से तथा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पृथक से जिला स्तर से अन्य कोई विज्ञप्ति निर्गत नहीं की जायेगी।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्याः 21484-91/सात लाई०एस०–42/ व्यव०/2023–24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति/दे०दून, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. अपर आबकारी आयुक्त, आई०टी० अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट www.uttarakhandexcise.org.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी अयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग को उत्तराखण्ड के समस्त संस्करणों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner